बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक– प्र01 / BSP(H)CL–01 / 2024– /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत सिंचाई हेतु "मुख्यमंत्री कृषि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना" अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मोड में ऊर्जान्वयन हेतु कुल 1200.00 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़) रूपये का स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 10.6587 करोड़ (दस करोड़ पैसठ लाख सतासी हजार) रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 3.339 करोड़ (तीन करोड़ तैंतीस लाख नब्बे हजार) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–807 दिनांक–04.03.2024 द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत सिंचाई हेतु "मुख्यमंत्री कृषि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना" अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मोड में ऊर्जान्वयन हेतु कुल 1200.00 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़) रूपये का नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा 10.6587 करोड़ (दस करोड़ पैसठ लाख सतासी हजार) रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा 3.339 करोड़ (तीन करोड़ तैंतीस लाख नब्बे हजार) रूपये की मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत सिंचाई हेतु "मुख्यमंत्री कृषि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना" अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मोड में ऊर्जान्वयन हेतु कुल 1200.00 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़) रूपये का स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 10.6587 करोड़ (दस करोड़ पैसठ लाख सतासी हजार) रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 3.339 करोड़ (तीन करोड़ तैंतीस लाख नब्बे हजार) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0115–हर खेत तक सिंचाई का पानी–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–10–4801051900115 विषय शीर्ष–54.01–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048–नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या क्रमशः PTSPLA017 एवं PTSPLA018 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र01/BSP(H)CL–01/2024 के पृष्ठ संख्या–11/टि0 पर दिनांक–27.02.2024 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र01/BSP(H)CL–01/2024 के पृष्ठ संख्या–23/टि0 पर दिनांक–10.09.2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र01/BSP(H)CL–01/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र01/BSP(H)CL–01/2024– 4690 /पटना, दिनांक– 15.09.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग(तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.09.26

सरकार के संयुक्त सचिव।